अध्याय – 8
मूल कर्तव्य
भाग-04(क) ।। अनुच्छेद 51 (क) (1 -51)

- यह मूल संविधान का अंग नही है।
- 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह ने 8 मूल कर्तव्य की सिफारिश की थी और 42वॉ संविधान संसोधन 1976 मे 10 मूलकर्तव्य का प्रावधान किया गया तथा 86वॉ संविधान संसोधन 2002 द्वारा 1 और मूल कर्तव्य जोड़े गये इस प्रकार वर्तमान में कुल 11 मूलकर्तव्य है।
- मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए है।
- यह नागरिकों के लिए अनिवार्य नही है, वाद नहीं चलाया जा सकता।
- सोवियत संघ (रूस) से लिया गया है।

➢ **मूल कर्तव्य :–**

1. संविधान, संवैधानिक आदर्शो, संस्थाओ, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता आंदोलन के उच्च आदर्शो मूल्यों का सम्मान व पालन करें।
3. भारत की संप्रभुता, एकता व अखण्डता की रक्षा करे।
4. देश की रक्षा व सेवा करे और आह्वान किये जाने पर देश की सेवा करें ।
5. धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग से परे समरसता व भातृत्व की भावना का निर्माण व स्त्रीयों के सम्मान के विरूद्ध प्रयासों का त्याग करें।
6. समाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की समझ व प्रतिरक्षण।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा व प्राणीमात्र के प्रति दया भाव रखे।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा व हिंसा से दूरी
10. व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों मे उत्कर्ष का प्रयास करे।
11. माता – पिता व अभिभावक का कर्तव्य है की 6 से 14 वर्ष के बालक–बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर दे।

शिक्षा संबंधी प्रावधान

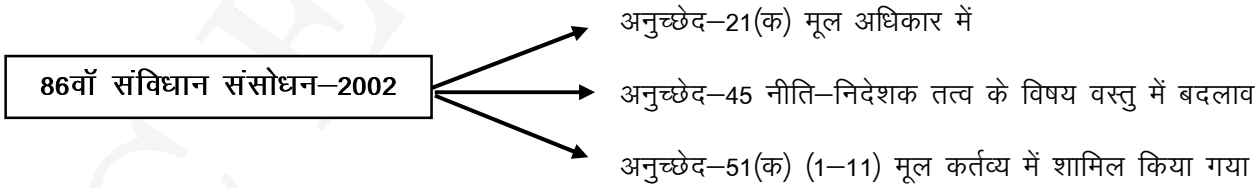

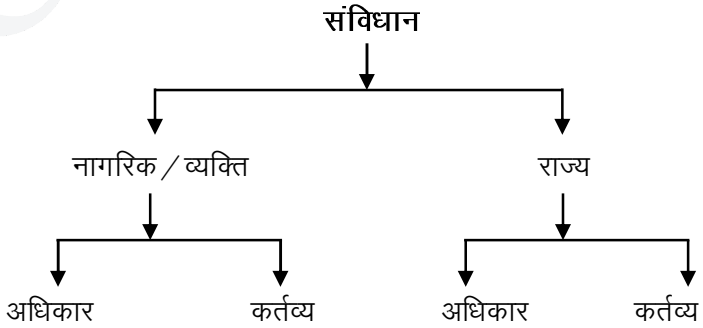

- संविधान नागरिक एवं राज्य के अधिकारों एवं कर्तव्यों का समन्वय है।